प्रेस नोट दिनांक 01/01/23 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा तीन शातिर चोर को किया गिरफ्तार तथा चोरी का सामान 03 लिकं कम्पनी की बैटरिया प्रत्येक 06 वोल्ट व एक नाजायज चाकू व चार चावल के कट्टे बरामद किए गए

श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में चोरी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद विशष्ट थाना नकुड के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड पुलिस द्वारा तीन अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा अभि0गण के कब्जे से वोल्ट 06 लिकं कम्पनी की बैटरिया प्रत्येक 03व एक नाजायज चाकू व चार चावल के कट्टे बरामद किये गये। अभि0गण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है—

- 1. दिनांक 30.12.22 को वादी श्री सत्यम पुत्र चन्द्रशेखर मित्तल निवासी मौ0 महादेव कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा दाखिला तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के आर0एन0 टैगोर विद्यापीठ इन्टर कालेज का ताला तोड़कर एक लैपटाप,एक प्रिन्टर,एक एलईडी व प्रयोगशाला की चार छोटी बैटिरयां तथा एक बैटरी का चार्जर चोरी कर लेने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 495/22धारा 380/457 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। तथा दिनांक 01.01.23 को थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त कुलदीप पुत्र सुभाष निवासी मौहल्ला चौधिरयान कस्बा नकुड़ सहारनपुर को मय मुकदमा उपरोक्त में चोरी की गई 03 लिंक कम्पनी की बैटिरयाँ प्रत्येक 06 बोल्ट व एक नाजायज चाकू के समय करीब 07.30 बजे पीडब्लूडी गेस्ट हाउस नकुड़ के पीछे से गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से बरामद नाजायज चाकू के सम्बन्ध मे थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 01/23 धारा 4/25 भादिव बनाम कुलदीप उपरोक्त पंजीकृत किया गया।
- 2. दिनांक 01.01.23 को वादी श्री दानिश पुत्र मंजूर निवासी मौ0 गाड़ान कीलिया कुँआ इस्लामनगर रोड़ कस्बा अम्बहेटा पीर थाना नकुड़ सहारनपुर द्वारा तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोरो द्वारा वादी की दुकान माज ट्रेडर्स का ताला व शटर तोड़कर 05 कट्टे चावल चोरी कर लेने के संबंध में मु0अ0स0 02/23 धारा 380/457 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिन्हे आज थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तगण 1. सारिक पुत्र जुल्फान नि0 तात्ताहेड़ी थाना गंगोह स0पुर व 2. अंकित कुमार उर्फ मोनू पुत्र धर्मराज नि0 तात्ताहेड़ी थाना गंगोह स0पुर को मय चार चावल के कट्टे सहित समय 13.00 बजे गंगोह रोड से गिरफ्तार कर मात्र चार घण्टे में घटना का सफल अनावरण किया गया

अभि0गण का नाम व पता:-

- .1कुलदीप पुत्र सुभाष निवासी मौहल्ला चौधरियान कस्बा नकुड़ सहारनपुर
- 2. सारिक पुत्र जुल्फान नि पुर0तात्ताहेड़ी थाना गंगोह स 0
- 3. अंकित कुमार उर्फ मोनू पुत्र धर्मराज निपु0तात्ताहेड़ी थाना गंगोह स 0र

बरामदगी का विवरण:-

- 1. 03 लिंक कम्पनी की बैटरियाँ प्रत्येक 06 बोल्ट
- 2. एक नाजायज चाकू
- 3. चार चावल के कट्टे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1. प्र0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट
- 2. 30नि0 देवेश कुमार
- 3. उ0नि0 श्री सचिन त्यागी
- है0का0 569 नीरज कुमार
- है0का0 559 सन्नी राणा
- का0 1631 परविन्दर
- का0 2286 सुनील
- 8. का० ७१ बृजवीर राणा



प्रेस नोट थाना नानौता जिला सहारनप्र

दिनांक 01.01.2023

श्रीमान जी सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 01.01.2023 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर के निर्देशन एव श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय गंगोह के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध रोकथाम में कार्यवाही करते हुए गस्त/चैकिंग के दौरान थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त आसिफ पुत्र हनीफ तेली निवासी मौहल्ला गंगोह रोड कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली को समय करीब 02.30 बजे पुराना बस अड्डा कस्बा नानौता से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 01/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता :-

आसिफ पुत्र हनीफ तेली निवासी मौहल्ला गंगोह रोड करूबा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली



अभियुक्त का आपराधिक इतिहास : -

1.मु0अ0सं0 01/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता

बरामदगी का विवरण :-

01 अदद नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम : -

- 1. थानाध्यक्ष चन्द्रसैन सैनी
- 2. उ0नि0 मुकेश कुमार
- 3. का0 2228 हरिभान
- 4. का0 2540 देवजीत